रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1994/आश्विन 8, 1916
No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1994/ASVINA 8, 1916

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 732(अ)—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1994 का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 12 मई, 1994 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 45 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 6 जून, 1994 को उपलब्ध करा दी गई थी और कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1994 है।

2. ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) इन नियमों के नियम 82 के अन्तर्गत आने वाले यानों की बाबत ठीक होने का प्रमाणपत्र का नवीकरण —तीन वर्ष"

[फा. सं. आर. टी. -11017/19/93-एम. वी. एल.]

सी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

मूल नियमों को जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 590(ई) दिनांक 2 जून 1989 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, और तदुपरान्त निम्नलिखित प्रकार से राजपत्र में संशोधन किया गया :

(1) सा. का. नि. सं. 666(ई) दिनांक 30 जून 1989
(2) सा. का. नि. सं. 933(ई) दिनांक 28 अक्तूबर 1989
(3) सा. का. नि. सं. 132(ई) दिनांक 9 मार्च, 1990
(4) सा. का. नि. सं. 389(ई) दिनांक 21 मार्च, 1990
(5) सा. का. नि. सं. 338(ई) दिनांक 26 मार्च 1993
(6) सा. का. नि. सं. 799(ई) दिनांक 30 दिसम्बर 1993

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1994

G.S.R. No. 732(E).—Whereas the draft of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1994, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), was published in the Notification GSR No. 452(E), dated 12th May, 1994, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within 45 days from the date on which copies of the said Notification published in the Gazette of India were made available to the public ;

And whereas copies of the said Notification were made available to the Public on 6th June, 1994. And whereas no objections and suggestions have been received ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1994.

2. They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

3. In rule 62 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) renewal of certificate of fitness in respect of vehicles covered under rule 82 of these rules — three years"

[File No. RT-11017/19/93-MVL]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, in the Ministry of Surface Transport Notification No. 590(E), dated 2nd June, 1989, and were subsequently amended vide Gazette Notification as follows :

(1) GSR No. 666(E), dated 30th June 1989

(2) GSR No. 933(E), dt. 28th October, 1989

(3) GSR No. 132(E), dt. 9th March, 1990

(4) GSR No. 389(E), dt. 21st March, 1990

(5) GSR No. 338(E), dt. 26th March, 1993

(6) GSR No. 799(E), dt. 30th December, 1993

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994